16

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0 / योजना–40–08 / 2014–1075

प्रेषक,

शंभु शरण,
विशेष कार्य पदाधिकारी,

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

Mail
निबंधित।

पटना, दिनांक– 18.04.2016

विषयः– मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना / मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को RTGS/NEFT के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के ज्ञापांक–86, दिनांक–28.01.2016 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना / मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों को RTGS/NEFT के माध्यम से मेधावृत्ति की राशि दिनांक–01.04.2016 से सीधे उनके बैंक खाते में ही अन्तरित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनु० - यथोक्त

18.4.16.

(शंभु शरण)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– पि0व0 / मु०मेधा०–40–01 / 2016– 1075 पटना, दिनांक– 18.04.2016

प्रतिलिपि–सभी उप निदेशक कल्याण, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18.4.16.

विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Sri Raj.Sir/V.K.

215
~~140~~

पत्रांक ....

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

रवि मित्तल
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांकः जनवरी, 2016

विषयः- बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभांवितों को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं में लाभुकों की राशि सीधे उनके बैंक खाते में किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न विभागों यथा शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन शिक्षा ऋण योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना एवं सभी कोटि के छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना आदि विभिन्न योजनाये क्रियान्वित की जा रही हैं । अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों की राशि को बैंक खाते मे सीधा अंतरित करना आवश्यक है । जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी एवं राशि का दुरुपयोग नही होगा ।

2(A)

2. उपरोक्त के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वैयक्तिक लाभकारी (Individual benefit) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 1st अप्रैल 2016 के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभांवितों को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि यथासम्भव सीधे उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा । यदि +2 (इंटर स्तर) तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के पास बैंक खाता नहीं है, तो उनके अभिभावक के बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जायेगा ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(रवि मित्तल)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक: पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(सुशील कुमार)
अपर सचिव ।

ज्ञापांक: पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि:- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इस पत्र की प्रति सभी संबंधित बैंकों के वरीय अधिकारियों को अपने स्तर से देने की कृपा की जाय ।

ह0/-
(सुशील कुमार)
अपर सचिव ।

ज्ञापांक: 86 पटना, दिनांक: 28.1.16

प्रतिलिपि:- प्रभारी सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/01/2016

(सुशील कुमार)
अपर सचिव ।